



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273578
CG-DL-E-18062026-273578

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 444]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

सं. 57/2026-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 495(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 27/2018- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतः स्थापित करी जायेगी, यथा :-

“15. नवी मुंबई” ।

[फा. सं. 451/11/2026-सीमा शुल्क.V]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 27/2018- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 मार्च, 2018, सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 82/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 अगस्त 2020, जिसे सा.का.नि. 518 (अ) दिनांक 21 अगस्त 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2026

No. 57/2026-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 495(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 27/2018-Customs (N.T.), dated, the 28th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 295(E), dated, the 28th March, 2018, namely:-

In the said notification, in the table, after Sl. No. 14 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be added, namely: -

“15. Navi Mumbai”.

[F. No. 451/11/2026-Cus.V]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide Notification No. 27/2018–Customs (N.T.), dated the 28th March, 2018, vide number G.S.R 295 (E), dated the 28th March, 2018 and was last amended vide Notification No. 82/2020-Customs (N.T.), dated the 21st August 2020 e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 518 (E), dated 21st August 2020.